

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/वाकायो 12-13/2011

जयपुर, दिनांक :

23 SEP 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं
श्रम बजट 2012-13 के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 17.08.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2012-13 बनाए जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। निर्देशों की अनुपालना में आपके द्वारा ग्राम सभाओं के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके होंगे। इसके अतिरिक्त वार्षिक कार्य योजना में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए तालाबों, बॉधों, एनिकट आदि की मरम्मत एवं रख-रखाव के कार्य तथा कैनाल की सिल्ट सफाई के कार्य भी सम्मिलित कराये जाने का प्रयास किया जावे। अन्य कार्यकारी विभागों को भी उनसे संबंधित कार्य वार्षिक कार्य योजना में जोड़े जाने हेतु निर्देश आपके स्तर से भी जारी किये जावे ताकि उन विभागों के कार्य भी वार्षिक कार्य योजना में जोड़े जा सकें। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि नरेगा अधिनियम 2005 के बिन्दु संख्या 14(3)(सी) के प्रावधान के अनुसार अन्य कार्यकारी संस्थाओं के प्रस्ताव जिला स्तर पर भी वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जा सकते हैं। परन्तु संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप यह ज्यादा उचित होगा कि अन्य विभागों द्वारा प्रस्तावित ऐसे कार्य जो कि केवल एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के हैं उन्हे ग्राम सभा के माध्यम से, एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र के परन्तु एक ही पंचायत समिति क्षेत्र के कार्य होने की स्थिति में पंचायत समिति स्तर पर तथा एक से अधिक पंचायत समिति क्षेत्र के कार्य होने पर जिला परिषद स्तर पर सम्मिलित कराए जाये ताकि ऐसे कार्यों को प्राथमिकता प्राप्त हो सकें।

कृपया इस संबंध में आपके द्वारा की गयी कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय
३०.८.२०११।।
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि इन निर्देशों की प्रति जिले के समस्त कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक को भी आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

परिनिदेश उप सचिव, ईजीएस